

के.के. चौधरी

मेरी जी.एस.  
कृतिवाल



अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान

प्रशिक्षण संस्थान नामांकन संख्या 226021

फोन: 0122-2730193

फॉक्स: 0622-2730186

प्राप्ति: उपचाल कुमारा.प्रा.प्रा/2015/1200-4491

College Code - 552

दिनांक 15.05.2015

प्राप्ति

DIRECTOR

CHANDRA SHEKHAR SINGH COLLEGE OF PHARMACY, KAUSHAMBI

विषय: अधिकारी संबंधी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

प्राप्ति:

उच्चतम विषय के सम्बन्ध में मुझे यह यथित करने की अपेक्षा है कि अधिकारी तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के अधार पर विश्वविद्यालय/उपयोग समिति द्वारा मई सम्पुटेशन के तर्फ में शामिलीश के रूपमें 1587/शील 1 2015-16(5)/2015- दिनांक 15.05.2015 न। निर्धारित आदानपुराज जरूर प्रदेश प्राप्तियां विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की पारा 23(2) के अधीन स्नातकोत्तर प्राप्तियां रोजगारी की पत्तारा में संस्थान का निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता के साथ

No.	Branch Name	1st Shift	2nd Shift
1	BACHELOR OF PHARMACY	60	0

सम्बित प्राप्ति योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रोकीकृत 2015-16 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्पाई सम्बद्धता या नहर्स्टी स्पीक्सि प्रदान की जाती है।

1. संस्था द्वारा अधिकारी तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/उपयोगिता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थाएँ तथा उपकरण एवं यात्राक्रम हेतु निर्धारित घठन-पाठ्यक्रमानुसारी प्रयोगशाला हेतु निर्धारित अनुकरण, ऐलेक्ट्रो इनजीनियरिंग तथा विश्वविद्यालय

2. निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कठिनाई/मुश्किलों को पूछा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की विधति में संस्था को प्रत्यक्ष

3. एडी सम्बद्धता स्वतः निरस्त रामद्वारी जायेगी, जिसका अनुपूर्ण अनावश्यित एवं संस्थान/प्रबन्धतात्त्व नहीं होगा।

4. निर्धारित भूमि भवन एवं देखा को आडिट और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित श्री शमय किया जाएगा।

5. ए.पी.एस./एम.फार्म./बी.आर./एम.आर. पाठ्यक्रम संवाधित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी कार्डिनल आफ इंडिया एवं काउंसिल आज़ अविएटर्स के द्वारा प्रदूषक संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं संवाधित काउंसिल का अनुमोदन श्री पाण्ठ किया जाना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित व्यवस्था को न करने की दशा में एवं अभावशिप, गौ.सी.आई., बी.ओ.ए. के द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता दो अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्था ने प्रदत्त अस्पाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त रामद्वारी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तराधिकृत स्वयं संस्थान/प्रबन्धतात्त्व का

